राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(1)कार्मिक/क-1/ 2025 जयपुर, दिनांक : 24-07-2025

आज्ञा

निम्नांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते है:-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद
1	श्री राहुल श्रीवास्तव (2023)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली (पाली)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर (हनुमानगढ़)
2	सुश्री सोनू कुमारी (2023)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
6 अनुसंधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
12 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हे भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव